उच्च न्यायालय (High Court)

भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है, जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। राज्यों में न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय अदालत सम्मिलित हैं, भारतीय संसद दो या दो से अधिक ऐसे राज्यों, या केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए विधि द्वारा उभयनिष्ठ (common) उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है।

भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में वर्ष 2013 में स्थापित किए गए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसको वर्ष 1862 में स्थापित किया गया था।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद होती है।

राष्ट्रपति प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। जहाँ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित है, वहीं उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है। यह निर्णय राष्ट्रपति पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge)

उपरोक्त के अलावा राष्ट्रपति लंबित मामलों की सुनवाई के अस्थायी अवधि, जो कि दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने में सक्षम है।

Scanned with CamScanner

कार्यकारी न्यायाधीश (Acting Judges)

जब कोई स्थाई न्यायाधीश अस्थाई रूप से अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब भी कार्यकारी न्यायाधीश (अस्थाई) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।

न्यायाधीश हेतु योग्यता (Eligibility for Judges)

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।
3. वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो।
4. एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो।

42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उच्च न्यायालयों के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं में संशोधन कर दिया गया है। अब:

1. ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष तक किसी न्यायाधिकरण का सदस्य रह चुका हो,
2. संघ अथवा राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर रहा हो, जिससे विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो,
3. ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की दृष्टि में विख्यात न्यायविद हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल से परापर्श लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेता है। नियुक्ति के बाद न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल (Tenure of Judges)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यविधि 62 वर्ष की आयु तक होती है। इससे पूर्व भी यदि कोई न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे, तो वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेजकर अपना पद त्याग सकता है। उच्चतम न्यायालय के समान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटा सकता है, जब संसद के दोनों सदन अलग-अलग अपनी समस्त संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से इस आशय का सम्बोधन राष्ट्रपति को करें।

Scanned with CamScanner